राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

- 5 JUN 2020

क्रमांक : प.3(4)नविवि/II/2017 — जयपुर, दिनांक

आज्ञा

राजस्थान लोक सेवा आयोग की अनुशंषा पर राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थियों को राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 के नियम–22 के प्रावधानान्तर्गत सहायक नगर नियोजक के पद पर प्रथमतः 2 वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) के रूप में नियुक्त किये जाने के आदेश एतदद्वारा प्रसारित किये जाते है :–

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	नाम व पता	जन्म तिथि	प्रवर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	1	गरिमा चारण D/o श्री कीर्ति कुमार चारण, सी–5, चतुर्थ फ्लोर, श्री सांई समृद्धि अपार्टमेंट, फर्स्ट मेन, एलेमा टेम्पल रोड, एस.जी. पाल्या, सी.वी. रमन नगर, बेंगलुरू –560093 (कर्नाटक)	02.07.1992	GE,WE	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर। (प्रतिनियुक्ति पर)
2.	2	जयवर्धन खण्डेलवाल S/o श्री रामावतार गुप्ता, एम–23/ए, जगदम्बा कॉलोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर–302039 (राजस्थान)	30.10.1985	GE	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
3.	3	प्रियंका चोपड़ा D/o श्री जतन लाल चोपड़ा, चौरड़िया चौक, नई लेन, गंगाशहर, बीकानेर–334401 (राजस्थान)	26.04.1991	GE,WE	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर। (प्रतिनियुक्ति पर)
4.	4	लक्ष्यजीत श्रीवास्तव S/o श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, 29, कल्याण कॉलोनी, गली नम्बर–19, बी.एल. कॉम्प्लेक्स के सामने, टोंक फाटक, जयपुर–302004 (राजस्थान)	30.01.1993	GE	नगर निगम, जयपुर। (प्रतिनियुक्ति पर)
5.	5	पारूल शर्मा D/o श्री प्रेमसुख शर्मा, बी–127बी, मंगल मार्ग, बापू नगर, जयपुर–302015 (राजस्थान)	15.11.1981	GE,WE	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
6.	6	आशिमा गौतम D/o श्री रामनरेश, सी–183, सेक्टर–बी–1, ट्रांस देहली सिग्नेचर सिटी, लोनी, गाजियाबाद–201102 (उत्तर प्रदेश)	09.08.1993	GE,WE	कार्यालय उप.नगर नियोजक, अलवर क्षेत्र, अलवर।
7.	7	रामस्वरूप चौधरी S/o श्री लिखमा राम चौधरी, 33, सरस्वती नगर, कायड़ रोड, घुघरा, अजमेर (राजस्थान)	01.02.1994	BC	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर।

क्रमशः

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	नाम व पता	जन्म तिथि	प्रवर्ग	पदस्थापन स्थान
8.	8	जयनारायण मीना S/o श्री भगवान सहाय मीना वार्ड–27, गोपाल बगीची के पीछे, बसवा रोड, जागीर बांदीकुई, जिला–दौसा–303313 (राजस्थान)	07.12.1993	ST	कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा। (जिला नगर नियोजन इकाई का कार्य)
9.	9	अमीष कुमार पाण्डेय S/o श्री शिव कुमार पाण्डेय ग्राम पोस्ट–हथियागढ़, जिला–गोंडा–271312 (उत्तर प्रदेश)	20.10.1990	GE, LD(OL)	कार्यालय उप नगर नियोजक, भरतपुर क्षेत्र, भरतपुर। (जिला नगर नियोजन इकाई, धौलपुर का कार्य)
10.	10	गिरिराज प्रसाद नागर S/o श्री बद्री लाल धाकड़, सी–105, चन्द्रगुप्त नगर, जगतपुरा, जयपुर–302017 (राजस्थान)	20.02.1972	BC, LD(OL)	कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी निम्नांकित शर्तों की अनिवार्य रूप से पालना के साथ ही अपनी उपस्थिति पदस्थापन स्थान पर प्रस्तुत करेंगे:–

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार सम्भालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए विभाग को सूचित करेंगे कि वे कब तक कार्यभार सम्भालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं सम्भालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. यदि इस समय कोई अभ्यर्थी पूर्व में ही केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में स्थाई रूप से नियुक्त है तो अपने मूल विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ उपस्थित होंगे।
3. इस विभाग को आवंटित अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरिष्ठता, उनके मेरिट क्रम के अनुसार रहेगी।
4. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
5. अभ्यर्थियों की नियुक्ति राजस्थान नगर नियोजन सेवा नियम, 1966 एवं कार्मिक/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित सरकारी नियमों/परिपत्रों के अधीन रहेगी।
6. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के दौरान इन्हें रूपये 39,300/– मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि को सन्तोषप्रद रूप से पूर्ण करने के उपरान्त ही उन्हें सहायक नगर नियोजक पद का नियमित वेतनमान: पे–मैट्रिक्स में लेवल संख्या L-14 एवं अन्य सभी संबंधित परिलाभ देय होंगे।
7. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 एवं 20.04.2004 के अनुसरण में उपरोक्त नियुक्तियों के संबंध में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व के कर्मचारियों पर लागू राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 लागू नहीं होंगे और इनके स्थान पर राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 लागू होंगे।
8. परिवीक्षा अवधि (Probation Period) 2 वर्ष की होगी एवं इस अवधि में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
9. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

Scanned with CamScanner

10. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।

11. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण–पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।

12. सेवा पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने की तारीख से प्रारम्भ होगी। कार्यग्रहण एवं पदस्थापन हेतु की गई किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए विभाग/सरकार द्वारा कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जावेगा।

13. क्र.सं. 5 पर अंकित अभ्यर्थी पदस्थापन स्थान पर उपस्थिति प्रस्तुत करते समय अपना स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र एवं वांछित शपथ–पत्र, तथा क्र.सं. 7 पर अंकित अभ्यर्थी पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र संबंधित नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से

Sd/-

(त्रिभुवनपति)

शासन संयुक्त सचिव–द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रों क्रमांक एफ.7(23)भर्ती/गोपनीय/2017–18/26606 दिनांक 05.03.2020 एवं एफ.7(23)भर्ती 'क'/2017–18/510 दिनांक 17.03.2020 के क्रम में।
5. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर/धौलपुर।
8. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
9. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
11. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा।
12. कार्यालय उप नगर नियोजक, अलवर/भरतपुर।
13. कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर/अलवर/अजमेर/बीकानेर/भरतपुर/जोधपुर/कोटा।
14. संबंधित सहायक नगर नियोजक श्री/श्रीमती/सुश्री ....
15. रक्षित पत्रावली।

शासन संयुक्त सचिव–द्वितीय

Scanned with CamScanner